

## भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 52

सरकारी उद्यम विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	8.98	7.94	16.92	13.00	8.93	21.93	10.00	8.99	18.99	10.00	9.39	19.39	
पूँजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़	<b>8.98</b>	<b>7.94</b>	<b>16.92</b>	<b>13.00</b>	<b>8.93</b>	<b>21.93</b>	<b>10.00</b>	<b>8.99</b>	<b>18.99</b>	<b>10.00</b>	<b>9.39</b>	<b>19.39</b>	
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	0.58	7.51	8.09	0.60	8.06	8.66	0.85	8.12	8.97	0.70	8.52	9.22
2. अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदान	2852	...	0.43	0.43	...	0.87	0.87	...	0.87	0.87	...	0.87	0.87
3. केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन स्कीम	2852	8.17	...	8.17	8.60	...	8.60	6.95	...	6.95	7.00	...	7.00
4. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों और राज्य स्तर के सरकारी उद्यमों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास और परामर्शी सेवाएं	2852	0.23	...	0.23	1.50	...	1.50	0.70	...	0.70	0.50	...	0.50
5. राज्य स्तरीय लोक उद्यमों(एसएलपीईज) के कार्यपालकों के लिए कुशलता विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम	2852	...	...	...	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	0.80	...	0.80
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	1.30	...	1.30	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
7. वास्तविक वसूलियां	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>		<b>8.98</b>	<b>7.94</b>	<b>16.92</b>	<b>13.00</b>	<b>8.93</b>	<b>21.93</b>	<b>10.00</b>	<b>8.99</b>	<b>18.99</b>	<b>10.00</b>	<b>9.39</b>	<b>19.39</b>
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.58	...	0.58	0.60	...	0.60	0.85	...	0.85	0.70	...	0.70
2. लोहा और इस्पात उद्योग	12852	8.40	...	8.40	11.10	...	11.10	8.15	...	8.15	8.30	...	8.30
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	1.30	...	1.30	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
<b>जोड़</b>		<b>8.98</b>	...	<b>8.98</b>	<b>13.00</b>	...	<b>13.00</b>	<b>10.00</b>	...	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	...	<b>10.00</b>

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं ::** इसके अन्तर्गत इस विभाग के सचिवालय व्यय, सरकारी क्षेत्र के महारत्न, नवरत्न और मिनी-रत्न उपक्रमों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए सर्च कमेटी, समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यदल तथा सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) से संबंधित स्थापना व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और साफ्टवेयरों की अधिप्राप्ति के साथ-साथ साफ्टवेयर के विकास व रखरखाव तथा कार्यालय परिसर के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी हेतु व्यय के लिए धनराशि की व्यवस्था भी की गई है।

2. **अंतरराष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदान:** इसके अंतर्गत विकासशील देशों में सरकारी उद्यमों के लिए अंतरराष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, की सदस्यता हेतु भारत के अंशदान तथा उत्कृष्ट निष्पादन हेतु सरकारी उद्यमों को पुरस्कार प्रदान करने से संबंधित व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

3. **केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पृथक्कृत कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन:** इसमें परामर्श, पुनर्नियोजन, नए केन्द्रों की स्थापना/नोडल एजेंसियों की वृद्धि करने आदि संबंधी व्यय के लिए सहायता-अनुदान और इसमें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन स्कीम के अधीन संचालित परियोजना का परिवीक्षण करने के लिए भी निधि की व्यवस्था की गई है।

4. **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय उद्यमों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्शी सेवाएं:** इसमें राज्य स्तरीय उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के व्यापक मुद्दों से संबंधित विषयगत परामर्शी सेवाएं एवं अध्ययन तथा सेमिनार, कार्यशाला आदि हेतु अनुदान सहायता के रूप में निधि की व्यवस्था है।

5. **राज्य स्तरीय लोक उद्यमों(एसएलपीईज) के कार्यपालकों के लिए कुशलता विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम:** राज्य स्तरीय लोक उद्यमों के प्रबंधकों/कार्यपालकों/कर्मचारियों की कुशलता में सुधार और उद्यमों की समग्र उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण/ज्ञान हेतु लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रतिपादित दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान के रूप में निधि की व्यवस्था है।

6. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान शामिल है।